



सत्यमेव जयते

संख्या— 5204 / जी0एस0(शिक्षा) / A4-185(Online) / 2024

प्रेषक,

रीना जोशी

कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,

वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 13 अक्टूबर, 2026

महोदय,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 260106012249 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
साईं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, महुआडाबरा, जसपुर, ऊधमसिंह नगर।	बी०फार्मा०	60	2025-26

(1) उक्त प्रस्ताव में प्राभूति राशि के मानक अपूर्ण है। इस क्रम में प्रश्नगत प्रस्ताव पर अनुमोदन, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 2289/2025 में दिनांक 04.08.2025 को पारित अंतरिम निर्णय के क्रम में दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह संस्थान से प्राभूति राशि के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें

अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 12-10-2026
16:57:25
(रेना जोशी)

कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या- 5204 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-185(Online)/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. ✓ कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 12-10-2026
17:42:42
(श्री लखन राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।